कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल बौंसी

Email:-eefcdbounsi@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)सं0–01/2026–27

दिनांक............../............../2026

पत्रांक....................../बौंसी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी (बाँका) के कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थल निरीक्षण/अवर प्रमण्डल अंतर्गत कार्यक्षेत्र निरीक्षण/उच्च अधिकारियों की बैठकों में भाग लेने/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य तथा अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी का संख्या	दर (प्रतिमाह) सभी कर सहित	अभ्युक्ति
01	कार्यपालक अभियंता, हेतु वार्षिक उपयोग के लिए	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01		
02	सहायक अभियंता, हेतु वार्षिक उपयोग के लिए	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	02		
03	सहायक अभियंता, हेतु बाढ़ अवधि में उपयोग के लिए	दिनांक– 01.06.2026 से 31.10.2026 (कुल 5 माह)	02		

01. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी
02. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक–01.04.2026
03. कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक–15.04.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक
04. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :– बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी (बाँका)
05. कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक–16.04.2026 को अपराह्न 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में

कोटेशन की तकनीकी शर्तें

01. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन प्रदूषण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) अद्यतन रोड टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र तथा वाहन का वैध इंशयोरेंस कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
02. वाहन मालिक का आधार नंबर, पैन नंबर एवं जी0एस0टी0 नंबर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
03. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
04. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा:–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करो यथा जी0एस0टी0, आई0टी0 सहित)

नियम एवं शर्तें

01. क्रम संख्या–01, 02 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन एकारारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक एवं क्रम संख्या–03 में उल्लेखित भाड़े पर वाहन दिनांक–01.06.2026 से 31.10.2026 तक रखा जायेगा।
02. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
03. वाहन मालिक/फर्म का वैध पैन एवं जी0एस0टी0 नंबर होना चाहिए।
04. वाहन प्रदाता के फर्म होने की स्थिति में यह मोटर वाहन अधिनियत एवं अन्य सुसंगत अधिनियत के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए।
05. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ–सफाई एव सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक /फर्म की होगी।
06. वाहन चालन का मानदेय, भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म की होगी।
07. वाहन का वैध प्रमाण पत्र प्रदुषण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा इंशयोरेंस आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक /फर्म की होगी।
08. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
09. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
11. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया (ईंधन रहित) देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी अवश्य प्रविष्टि करेंगें, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
13. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, बाँका द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धत दर के कोटेशनदाता के साथ रू0 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।
14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि में किया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया का दावा मान्य नहीं होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यावसायिक कार्यों में नहीं किया जायेगा।
16. वाहन का उपयोग हेतु 24 घण्टे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।
17. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।
18. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।
19. आंमत्रित कोटेशन को बिना बताये रद्द या अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
21. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं इनकम टैक्स की काटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।
22. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहाँ रह भी सकता है उक्त स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
23. इच्छुक वाहन का मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 22 तक भार्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना **शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत)** एवं क्रमांक 03,04,07 एवं 09 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगें।
24. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें। अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
25. सभी वांछित कागजात सहित पाये जाने पर एवं एक से अधिक सामान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–16.04.2026 को अपराह्न 04:00 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति/अनुपस्थिति में लौटरी किया जायेगा/इस संबंध में बाद में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल बौंसी

दिनांक............./............./2026

पत्रांक....................../बौंसी
प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय सूचना पट पर प्रचार प्रसार हेतु।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल बौंसी

दिनांक 01/04/2026

पत्रांक 209/बौंसी
प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु समर्पित। (Soft &Hard copy में)

कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल बौंसी